प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 15/2023

अनवान : –

1. रफीक खां पुत्र यासीन खां जाति कायमखानी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

–**प्रार्थी**

बनाम्

1. पूर्णराम उर्फ पूर्णदास पुत्र खेमाराम उर्फ खेमदास जाति स्वामी दीपलाना तहसील नोहर।
2. देवतराम पुत्र हनुमान जाति छींपा (छींपी) निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. धनपतराम पुत्र हनुमान जाति छींपा (छींपी) निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. धर्मपाल पुत्र हनुमान जाति छींपा (छींपी) निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. धर्मवीर पुत्र हनुमान जाति छींपा (छींपी) निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– असल अप्रार्थीगण

7. आबीद खां पुत्र सतार बानो जाति कायमखानी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
8. जावेद खां पुत्र सतार बानो जाति कायमखानी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
9. साजिदा पुत्री सतार बानो जाति कायमखानी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

– तरतीबी अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट</u>

उपस्थिति :–**1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी**
2. श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता अप्रार्थीगण

<u>निर्णय</u> दिनांकः **21.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स0 98/98 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण 7 ता 11 की मुश्तरका दर्ज है।

रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स0 58/55 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स0 49/128 की कुल 2.7830 हैक्ट भूमि अप्रार्थीगण स0 2 ता 5 की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स0 98/98 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण को जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है इसलिए भारी परेशानी हो रही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:01:23 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर [illegible] 1 के खेत रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 58/55 के प0 नं0 366/455 [illegible]0 नं0 49 के किला नं. 21 के मिन पश्यिम की 0.013 है0 भूमि व गैरसायल संख्या 2 ता 4 के खेत खाता

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

संख्या 49/128 के प0 नं0 366/455 (49) के किला नं. 20 के मिन दक्षिण की 0.013 है0 भूमि को छोड़कर 0.013 है0 भूमि व मिन पूर्व की 0.012 है0 भूमि में रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश फरमावे तथा सायल व तरतीवी गैरसायलान अपनी खातेदारी भूमि 3 आरएमजी के खाता संख्या 98/98 के प0 नं0 366/455 के मु0 नं0 49 के किला नं. 9 के मिन पश्चिम की 0.013 है0 भूमि गैरसायल संख्या 2 ता 5 को देने के लिए तैयार है तथा गैरसायल संख्या 2 ता 5 भी अपनी खातेदारी कृषि भूमि 3 आरएमजी के खाता संख्या 49/128 के प0 नं0 366/455 (49) के किला नं. 20 के मिन दक्षिण की 0.013 है0 भूमि मिन पश्चिम में रास्ता को छोड़कर जो कि गैरसायल संख्यां 1 के किला नं. 21 के चिपती हुई है देने के लिए तैयार है जिसे राजस्व रिकार्ड में अमद दरामद करने के आदेश फरमावे। राजस्व रिकार्ड में जो रास्ता स्वीकृत किया जाना है व जो भूमि रास्ता के बदले में दी गई है का नजरीया नक्शा संलग्न है।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थीगण स0 1 ता 5 व तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 7 ता 11 की तरफ से अधिवक्ता श्री सुनील कटारिया ने प्रार्थी के प्रार्थना को स्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण को कोई एतराज नही है।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 कैम्प कोर्ट में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया की उक्त रास्ता के संबंध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहमत है अर्थात प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में किसी को कोई एतराज नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को मुताबिक अनुतोष स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों को सुना एवं पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों को अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स0 98/98 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण 7 ता 11 की मुश्तरका दर्ज है। प्रार्थी गैरसायल संख्या 1 के खेत रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 58/55 के प0 नं0 366/455 के मु0 नं0 49 के किला नं. 21 के मिन पश्चिम की 0.013 है0 भूमि व गैरसायल संख्या 2 ता 4 के खेत खाता संख्या 49/128 के प0 नं0 366/455 (49) के किला नं. 20 के मिन दक्षिण की 0.013 है0 भूमि को छोड़कर 0.013 है0 भूमि व मिन पूर्व की 0.012 है0 भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण तथा तरतीबी अप्रार्थीगण अपनी [illegible] में आवागमन हेतु उक्त रास्ता गै0मु0 दर्ज करवा चाहते है। सभी [illegible] प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:01:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो वे गैरसायल संख्या 1 के खेत रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 58/55 के प0 नं0 366/455 के मु0 नं0 49 के किला नं. 21 के मिन पश्चिम की 0.013 है0 भूमि व गैरसायल संख्या 2 ता 4 के खेत खाता संख्या 49/128 के प0 नं0 366/455 (49) के किला नं. 20 के मिन दक्षिण की 0.013 है0 भूमि को छोड़कर 0.013 है0 भूमि व मिन पूर्व की 0.012 है0 भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा सायल व तरतीवी गैरसायलान अपनी खातेदारी भूमि 3 आरएमजी के खाता संख्या 98/98 के प0 नं0 366/455 के मु0 नं0 49 के किला नं. 9 के मिन पश्चिम की 0.013 है0 भूमि गैरसायल संख्या 2 ता 5 के नाम दर्ज की जाती है तथा गैरसायल संख्या 2 ता 5 अपनी खातेदारी कृषि भूमि 3 आरएमजी के खाता संख्या 49/128 के प0 नं0 366/455 (49) के किला नं. 20 के मिन दक्षिण की 0.013 है0 भूमि मिन पश्चिम में रास्ता को छोड़कर जो कि गैरसायल संख्यां 1 के किला नं. 21 के चिपती हुई है को गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज की जाती है। .उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 21/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मलवानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:01:23 IST
Reason: SelfAttested